कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 518 / 12-1 :देहरादूनः दिनांकः 16 सितम्बर, 2023

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन,
वन अनुभाग–03।

विषयः– जनपद–रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत पाण्डवथली–उच्छोला–माना मोटर के निर्माण हेतु 0.350 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के संबंध में। PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/12372/2015

संदर्भः– अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, देहरादून की पत्र संख्या– 1014/X-4-16/01(267)/2016 दिनांक 13.12.2016।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे उत्तराखण्ड शासन द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी की पत्र संख्या–70/12–1 दिनांक 11.07.2023 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है :–

क्र0सं0	शर्त का विवरण	अनुपालन
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडें स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 4194/12–1(2) दिनॉक 21.06.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा उक्त शर्त के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु **रुपये 1,72,656.00 (एक लाख बाहत्तर हजार छः सौ छप्पन्न) मात्र** की धनराशि का भुगतान वन विभाग के पक्ष में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा किया गया है। **(संलग्नक–1)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई॰ए॰सं॰–566 एवं भारत सरकार पत्र सं॰ 5–3/2007–एफ॰सी॰ दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन॰पी॰वी॰) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त के अनुपालन में एन॰पी॰वी॰ हेतु **रुपये 2,29,950.00 (दो लाख उन्तीस हजार नौ सौ पचास) मात्र** की धनराशि का भुगतान वन विभाग के पक्ष में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा किया गया है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्वता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन॰पी॰वी॰ की दर मे वढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त के अनुपालन में पुनरीक्षित एन॰पी॰वी॰ हेतु रुपये 1,21,874.00 (एक लाख ईक्कीस हजार आठ सौ चौहत्तर) मात्र की धनराशि का भुगतान वन विभाग के पक्ष में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा किया गया है। (संलग्नक–2)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/ 1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0–566 एंव भारत सरकार पत्र सं0–5–3/2007–एफ॰सी॰ दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समस्त देयकों का भुगतान (स्थल के आस–पास

	आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियों की धनराशि का आंकलन प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर ऑनलाईन अपलोड करेगा जिसे नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाईन सत्यापित करने के पश्चात प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक में ऑनलाईन प्रकिया से प्राप्त चालान के अनुसार जमा करेगा। तत्पश्चात म्यूटेशन का विवरण अपलोड किया जायेगा। जिसकी पुष्टि नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाईन किया जायेगा। तत्पश्चात प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्नकों सहित ऑनलाईन अपलोड करेगा, जिसे प्रभागीय वनाधिकारी व नोडल अधिकारी के माध्यम से विधिवत् स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को ऑनलाईन/हार्ड कॉपी प्रेषित किया जायेगा।	रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव, एन.पी.वी. की निर्धारित धनराशि तथा पुनर्शिक्षित एन0पी0वी0 की धनराशि) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही रुपये 5,24,480.00 (पांच लाख चौबीस हजार चार सौ अस्सी) मात्र की धनराशि का पूर्ण भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया गया है। (संलग्नक–1 व 2 अनुसार) प्रकरण में प्रभावित वन भूमि के एवज में स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाना है। अतः म्यूटेशन का विवरण अपलोड किया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्नकों सहित ऑनलाईन अपलोड कर हार्ड प्रति में प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत की गई है, जो विधिवत् स्वीकृति हेतु हार्ड कॉपी में प्रेषित है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन कड़ाई से किये जाने हेतु संबंधित प्रमाण पत्र पूर्व में ही प्रस्ताव के ऑनलाईन अपलोड किये गये हैं तथा संबंधित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–3)**
6	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनाधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित प्रमाण–प्रत्र पूर्व में ही प्रस्ताव के ऑनलाईन अपलोड किये गये हैं तथा संबंधित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–4)**
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में निहित समस्त निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,
16/9/23

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– 518 /12-1 दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी की पत्र संख्या–70/12–1 दिनांक 11.07.2023 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।